

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 928/07

संस्थापन दिनांक:-28/03/06

फाईलिंग नं. 233504000042006

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मन्साराम पिता जुगर्ग्या गोंड
उम्र 45 वर्ष, निवासी नजरपुर,
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.03.2006 को रात्रि 08:30 बजे ग्राम नजरपुर थाना बोरदेही जिला बैतूल की परिसीमा के अंतर्गत प्रार्थी अम्मू को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थी अम्मू को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2006 को रात्रि 08:30 बजे सामने गली में बैठा था तभी अभियुक्त हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर कुल्हाड़ी से उसे बांये पैर में घुटने के मोड़ में मारा। जिससे उसे पैर में चोट आकर खून निकला। अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 50/06 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने प्रार्थी अम्मू को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 अम्मू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में साक्षी मनीराम (अ.सा.-2) एवं चिंदोबाई (अ.सा.-3) ने उनके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा उनके बेटे को गंदी गंदी गालियां दी गयी थी।

6 साक्षी/फरियादी अम्मू (अ.सा.-1), मनीराम (अ.सा.-2) एवं

चिंदोबाई (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी अम्मू (अ.सा.-3) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी मनीराम (अ.सा.-2) एवं चंदोबाई (अ.सा.-3) ने भी व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उनके बेटे को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। यद्यपि साक्षी अम्मू (अ.सा.-1), मनीराम (अ.सा.-2) एवं चंदोबाई (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 अम्मू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से उसके बांये पैर में मार दिया था जिससे उसे चोट आयी थी। उपर्युक्त साक्षी का समर्थन करते हुए मनीराम (अ.सा.-2) एवं चिंदोबाई (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब वह अपने बेटे अम्मू की आवाज सुनकर मौके पर आये तो उन्होंने अम्मू के पैर में चोट देखी थी।

9 डॉ. एस.एस. कुशवाह (अ.सा.-5) ने दिनांक 11.03.2006 को पीएससी बोरदेही में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अम्मू का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने पैर के घुटने के बांयी तरफ 5 गुणा 1.5 गुणा 1 सेमी. आकार का **फटा हुआ घाव** था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-6) को प्रमाणित भी किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी अम्मू (अ.सा.-1), मनीराम (अ.सा.

—2) एवं चिंदोबाई (अ.सा.—3) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में फरियादी को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 एन.आर. पवार (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.03.2006 को थाना बोरदेही में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 50/06 में (प्रदर्श प्री-1) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करना तथा फरियादी का मुलाहिजा कराना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि प्रकरण की अग्रिम विवेचना एच.यू. काजी द्वारा की गयी थी वे उसके बैचमेट थे और वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित है। साक्षी के अनुसार प्रकरण का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2), जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-4) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-5) एच.यू. काजी की हस्तलिपि में होकर उक्त प्रपत्रों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है तथा साक्षी मनीराम एवं चिंदोबाई आहत/फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा साथ ही उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

13 अम्मू (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 8-9 बजे की है। घटना के समय वह घर पर अपनी बहन के साथ बैठा था तभी अभियुक्त घर के अंदर गया, कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे बांये पैर पर मार दिया। मनीराम (अ.सा.—2) एवं चिंदोबाई (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थे तभी उन्हें अम्मू के चिल्लाने की आवाज आयी तो वे बाहर आये तब अम्मू ने बताया कि अभियुक्त ने उसके पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है फिर वे अम्मू को उठाकर घर के अंदर ले गये।

14 अम्मू (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में यह बताया है कि जमीन की पावती की बात पर से दो-दो बातें हुई थी। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह घर के सामने गली में नहीं बैठा था, छपरी में बैठा हुआ था। अम्मू (अ.सा.-1) ने यह भी बताया है कि घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया था और उसे दो-तीन दिन बाद होश आया था। इस बीच उसकी किसी से बातचीत नहीं हुई थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि घटना रात की थी, घर पर लाईट नहीं थी और रोड पर अंधेरा होने के कारण लोगों को देखना संभव भी नहीं है। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि मिट्टी के तेल का दिया छपरी में जल रहा था।

15 मनीराम (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने छपरी में उसके लड़के अम्मू को मारा था तथा उसके लड़के को दो दिन बाद होश आया था तथा पैरा क. 04 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी और यदि अभियुक्त उसे जमीन की पावती दे दे, बंटवारा कर दे तो वह अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं चाहता है। साक्षी ने इसी पैरा में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि जमीन और बंटवारे के विवाद को लेकर उसके लड़के ने रिपोर्ट की थी। स्वतः में कहा है कि उसके लड़के को कुल्हाड़ी से मारा था। चिंदोबाई (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी और उसे दो-तीन घंटे बाद जानकारी मिली थी कि उसका लड़का बेहोश पड़ा है तथा पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि यदि अभियुक्त जमीन की पावती दे दे, जमीन का बंटवारा कर दे तो वह कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

16 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश है। उक्त तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commission of offences as also for false implication" अर्थात् रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अतः बचाव पक्ष को उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश होने के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 10.03.2006 की रात के लगभग 08:30 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन प्रातः 11:30 बजे फरियादी के द्वारा की गयी है। प्रकरण में साक्षी मनीराम (अ.सा.-2) एवं चिंदोबाई (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष घटना घटित न देखा जाना बताया है।

इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं। साक्षी/फरियादी अम्मू (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह घटना के तुरंत बाद बेहोश हो गया था। मनीराम और चिंदोबाई ने भी यह बताया है कि उनका बेटा बेहोश हो गया था और घटना के एक-दो दिन बाद उसे होश आया था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन न्यायालय में किये हैं परंतु प्रकरण में आहत/फरियादी अम्मू अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इस तथ्य पर अखंडित रहा है। चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के बताये गये स्थान पर चोट आना प्रमाणित हुई है। फलतः आहत/फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्ट है। यद्यपि चिकित्सक साक्षी डॉ. एस.एस. कुशवाह ने आहत को आयी चोट गिरने से आना संभावित बताया है परंतु अभियुक्त का यह बचाव ही नहीं है कि विवाद के दौरान फरियादी गिरा था। तब ऐसी स्थिति में संभावना साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती है। इसके अतिरिक्त साक्षी मनीराम एवं चिंदोबाई के कथनों से फरियादी की साक्ष्य की आंशिक संपुष्टि होती है क्योंकि उपर्युक्त साक्षीगण घटना के तत्काल पश्चात मौके पर पहुंचे थे। फरियादी/आहत के द्वारा बिना विलंब किये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी है। यद्यपि घटना कारित किये जाने के स्थान के संबंध में साक्षियों की साक्ष्य में विसंगति है परंतु उपर्युक्त विसंगति तात्त्विक न होने से अभियोजन कथा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

18 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी अम्मू (अ.सा.-1) के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी अम्मू को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी अम्मू को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त मंशाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.द.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी. पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

23 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही परिवार के होकर काका-भतीजे हैं। घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की मात्र एक चोट आना प्रमाणित हुई है। अभियुक्त वर्ष 2006 से निरंतर विचारण का सामना कर रहा है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये 700/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये आहत अम्मू पिता मनीराम निवासी नजरपुर, थाना आमला, जिला

बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

26 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)